



प्रारूप — लीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला—रायपुर (छ.ग.)



website-www.deorajpur.com, Email-deorajpurict@gmail.com, rmsarajpur@gmail.com

Phone No. - 0771-4002693

क्रमांक / मान्यता / नवीनी / / 2016 / 3958
प्रति.

रायपुर, दिनांक ३५/५/2016

प्रबंधक / अध्यक्ष,

मोनेट शैक्षणिक समिति मंदिर हस्तीद रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

मोनेट डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मंदिर हस्तीद रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.) (माध्यम—अंग्रेजी)

दिवय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

—00—

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 11-04-2016 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्यार्थी पत्राचार/निरीक्षण उपरांत में मोनेट डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मंदिर हस्तीद रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.) (माध्यम—अंग्रेजी) (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अपयोगी लिए कक्षा नवीनी एवं पहली से आठवीं तक के लिए अनलिमिट मान्यता प्रदान करने की संसद्धता देता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धता करने के लिए कोई बायत विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट—एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट—दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या वथा स्थिति नवीनी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों वी संख्या के 25 प्रतिशत, तक आस—पड़ोस के कमज़ोर दर्गा और सुविधा—विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। ऐस्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. दैरा—3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तीयां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक वैक खाता रखेगा।
5. रोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन सुल्क का संश्लेषण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके नाम—पिता या संस्कार जो किसी स्कूली प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सहुत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :—

 - (एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकृति किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (पांच) अधिनियम के उपबन्धों व वे अनुसार निःशक्ता/दिशेप आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (छः) अध्यापकों वी भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं है 05 वर्ष वी अपयोगी वी भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
 - (सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निम्निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

कृपया पृष्ठ पर्याप्त

- (आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में शियोजित नहीं करेंगे।
 (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन सहिता भाग-५ के अंदीन विनिर्दिष्ट समितियों के अनुसुप्त अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
 (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभावित की जाने वाली छीस ऐसी शैलि में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व विनिर्दिष्ट शैलि की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की नई प्रसुविद्याएं निनानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-
कुल निर्मित का क्षेत्र	-
खेल की मैदान का क्षेत्रफल	-
कक्षाओं की संख्या	-
प्रधानपाठक—सह—कार्यालय—सह भण्डार के लिए कक्ष	-
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शैक्षालय	-
पैदाजल सुविधा	-
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई	-
बाधारहित पानी	-

अध्यापन पठन सामग्री/बीड़ा खेतकूद के उपस्थलों/पुस्तकालय की उपलब्धता -

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बलाई जाएंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएंगा।
 11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अंदीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंदीन गठित किसी सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, दैवितिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी घार्टर हैकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवाटित मान्यता कोड संख्याक नवीनीकरण 2016-1-103 डाइस कोड है।
 कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी प्राचारार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा विवेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसी निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सात्तु अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण की नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 17. संलग्न परिविष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- (1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं वक्ता नवीनी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा सहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
 (2) स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (टी.सी.) में मान्यता का छानांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अंदीन नवीनीकरण के अध्यधीन रहेंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक : ३५/५/२०१६

पृष्ठा: क्रमांक / मान्यता / नवीनी / 2016 / 3959

प्रतिलिपि :-

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसीदा/अमनपुर/आरग/लिला, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
 2. प्राचार्य/नोडल, अधिकारी लालोड, ग.वि. नाटुरा ६७ जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

मंगलवार
मंगलवार

जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छत्तीसगढ़)

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि - मोनेट शैक्षणिक समिति मंदिर हसौद रायपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 28-08-2001 द्वारा संचालित शाला नाम मोनेट डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मंदिर हसौद रायपुर छ.ग. को कक्षा नवमी से दसवीं/कक्षा ग्यारहवीं से बारहवीं तक नवीनीकरण विभागीय मान्यता (माध्यम-अंग्रेजी) अनुक्रमांक ३२५/२५.८.२०१६ पर दिनांक 2016-17 से 2020-21 तक 05 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीप:-

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मर्दों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.)में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोडः-

Om Prakash

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर(छ.ग.)